रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 1975/कार्तिक 15, 1897

No. 457] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1975/KARTIKA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 1975

S.O. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of Clause 10 of the Imports (Control) Order, 1955, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 12/66 dated the 10th November, 1966 (as amended by notification No. 10/67, dated the 4th August, 1967, notification No. 4/69 dated the 31st March, 1969, Notification dated the 26th June, 1972 and notification dated the 13th September, 1973) constituting the authorities for the purpose of hearing appeals against the action taken under clause 8 or 8A of the said order, namely:—

In the said notification, in item (iii) for the words "Secretary (Internal Trade) and two Joint Secretaries to the Government of India and Director (Vigilance), in the Ministry of Commerce", the words "Secretary, two Joint Secretaries and the Chief Vigilance Officer, in the Ministry of Commerce" shall be substituted.

[No. F. ITC. Imports (Control) Order/75]

A. N. VARMA, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

का० आ० 644(अ).—आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 की उपधारा (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त आदेश की धारा 8 या 8ए के अन्तर्गत किए गए निर्णय के विरुद्ध आवेदनों पर सुनवाई करने के विचार से संगठित करने वाली भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12/66, दिनांक 10 नवम्बर, 1966 (जोकि अधिसूचना संख्या 10/67, दिनांक 4 अगस्त, 1967, अधिसूचना संख्या 4/69, दिनांक 31 मार्च, 1969, अधिसूचना दिनांक 26 जून, 1972 और अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 1973 द्वारा संशोधित है) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, जैसे :—

उक्त अधिसूचना में, मद (3) में "सचिव (औद्योगिक व्यापार) और दो संयुक्त सचिव भारत सरकार तथा निदेशक (सतर्कता), वाणिज्य मंत्रालय" शब्दों को "सचिव, दो संयुक्त सचिव, और मुख्य सतर्कता अधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं० मि० आई टी सी आयात (नियंत्रण) आदेश/75]

ए० एन० वर्मा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975